न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 43/2023

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. गोपालसिंह पुत्र अचलसिंह 2. गणपतसिंह पुत्र अचलसिंह 3. उत्तमसिंह पुत्र अचलसिंह 4. डूंगरसिंह पुत्र अचलसिंह 5. तनेरावसिंह पुत्र नखतसिंह 6. देरावरसिंह पुत्र नखतसिंह 7. बाबूसिंह पुत्र नखतसिंह 8. गुलाबसिंह पुत्र नखतसिंह 9. नेमकंवर पत्नी नखतसिंह निवासीगण–भेसडा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी, पोकरण के द्वारा प्रकरण संख्या राजस्व/2022/1481 दिनांक 31.10.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. एंक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 12 जून 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भू– राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भैसडा तहसील पोकरण के ख0सं0 732 रकबा 117.17 बीघा में से 01.05 बीघा भूमि में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 31.10.2022 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान की रकबा भूमि को रास्ता दर्ज कर नक्शें में तरमीम की कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। उक्त अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.05.2023 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। दिनांक 10.05.2023 को अपीलार्थी ने गांव में सुना कि अपीलार्थी की भूमि ख0सं0 722 गांव भैसडा में से सडक निकाल कर डामरीकरण किया जावेगा तब अपीलाट ने पटवारी से पता किया तो अपीलाधीन आदेश होने की जानकारी हुइ तब अपीलान्ट ने दिनांक 15.05.2023 को उक्त निर्णय की नकले प्राप्त हेतु उपखण्ड कार्यालय में जाकर आवेदन किया तब दिनांक 29.08.2018 को नकले प्राप्त की। इससे पूर्व में आदेश की कोई जानकारी नहीं हुई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट तहसीलदार पोकरण की ओर से पटवारी भैसडा व नायब तहसीलदार की ओर से मनमानी रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त मौका रिपोर्ट भी अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में तैयार की गई है जो स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा की रकबा भूमि अपीलान्टस की खातेदारी की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है और न ही उनकी सहमति ली गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने उसके बावजूद भी एकतरफा आदेश पारित कर दिया ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। उक्त वर्णित रकबा भूमि में से कोई रास्ता नहीं चल रहा है। धारा 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं राज्य सरकार के द्वारा परिपत्र का गलत अर्थ निकाला है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम भैसडा से सगरामसिंह की ढाणी जाने हेतु पहले से डामर सडक भेसडा राजमथाई चल रहा है जो डामर की सडक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

है। इसी प्रकार अन्य एक रास्ता ख0सं0 722 के पश्चिम में माठ से दूर कटाणी के रूप में चल रहा है ऐसे में और किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं रही है इसके बावजूद अपीलार्थी की भूमि के बीच में से रास्ता स्थापित करने का आदेश दे दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है। नया रास्ता स्थापित करने हेतु धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता देने के प्रावधान दिये हुए है। ऐसे में सम्बन्धित खातेदार को उक्त धारा में प्रार्थना पत्र पेश करने की कार्यवाही करनी चाहिये थी, परन्तु धारा 131, 136 के प्रावधानों का गलत अर्थ निकालते हुए इस प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश करवाते हुए अपीलार्थी की भूमि के बीचों बीच में से नया रास्ता निकाले जाने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो विधि विपरित होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार की जावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पोकरण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम भैसडा के उल्लेखित खेत खसरान संख्या 722 की रकबा भूमि में से 1.05 बीघा भूमि में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित भूमि में से रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार, पोकरण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में ग्राम भैसडा के खेत खसरान संख्या 722 की रकबा भूमि में से 1.05 बीघा भूमि में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता घोषित कर नक्शा शुद्धि बाबत निवेदन किये जाने पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वर्णित खसरान की रकबा भूमि में से रास्ता घोषित करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने पर वादग्रस्त भूमि के प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पोकरण के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2022 को निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पोकरण को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए उनकी उपस्थिति में मौका जॉच करवाते हुए मौका रिपोर्ट तलब करने एवं अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष उपरोक्त कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 12 जून, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर